

(भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
वित्तीय सेवाएं विभाग


-----

नई दिल्ली, 20 मई, 2024

### अधिसूचना

का.आ. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के भूतपूर्व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री सत्यजीत त्रिपाठी को चार लाख रुपए प्रतिमाह (आवास और कार की सुविधा के बिना) के समेकित वेतन पैकेज पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) में पूर्णकालिक सदस्य (वितरण) नियुक्त करती है।

(फा.सं. आर-12011/02/2023-बीमा-I)

  
(अब्दुल गुफरान)

अवर सचिव, भारत सरकार